न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 64/13

1. मुरारी आयु करीब 51 वर्ष पुत्र वेदरिया जाति जाटव निवासी ग्राम रजई का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
2. तेजसिंह आयु करीब 70 वर्ष पुत्र वेदरिया (फोत)
   2/1– बीधो पुत्री तेजसिंह आयु करीब 40 वर्ष । समस्त जातिगण जाटव
   2/2– रामबाई पुत्री तेजसिंह आयु करीब 37 वर्ष । निवासी रजई का पुरा
   2/3– गुड्डी पुत्री तेजसिंह आयु करीब 34 वर्ष । तहसील व जिला धौलपुर
   2/4– जलदेई पत्नी स्व0 रामवीर
   2/5– सुनील पुत्र र ामवीर आयु करीब 12 वर्ष । नावालिग सरपरस्ती
   2/6– आकाश पुत्र रामवीर आयु करीब 7 वर्ष । मां जलदेई
   समस्त जातिगण जाटव निवासी रजई का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
3. रामस्वरूप आयु करीब 44 वर्ष
4. रामनारायण आयु करीब 42 वर्ष
5. माताप्रसाद आयु करीब 41 वर्ष
6. कमलेश आयु करीब 39 वर्ष
7. राजू उर्फ राजवीर आयू करीब 37 वर्ष
8. श्रीदेवी आयु करीब 30 वर्ष

। पिसरान सुम्मेरा समस्त
। अकवाम जाटव समस्त
। निवासीगण ग्राम रजई
। का पुरा तहसील व
। जिला धौलपुर

———— वादीगण

बनाम

1. भीकमसिंह । पुत्रगण स्व0 नत्थी जातिगण जाटव
2. जनक सिंह । निवासीगण ग्राम सरानी खेडा
3. रामनिवासी । तहसील व जिला धौलपुर
4. रामदुलारी पुत्री नत्थी पत्नी निवाई लाल
5. मुकेश । पिसरान
6. दिनेश । रामदेई व
7. महेश । रामरतन
8. शशी
9. कन्नेरी । पुत्रियान

। समस्त जातिगण
। जाटव निवासीगण
। ग्राम अतरसूमा
। तहसील बसेडी

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

10. गुड्डी । रामदेई व । जिला धौलपुर
11. सुनहरी । रामरतन ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्डहोल्डर।

----- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

उपस्थितिः– 1. श्री योगेश शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक – 16.3.18

वादीगण की ओर से वाद पत्र सिजरा खानदान वादी व प्रतिवादीगण अंकित कर इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 475 रकवा 1 वीघा ग्राम चॉदपुर तहसील व जिला धौलपुर को वादीगण संख्या 1 व 2 ने व वादीगण संख्या 3 लगायत 6 के पिता सुम्मेरा ने खातेदार काश्तकार नत्थी पुत्र किलोल जाति जाटव निवासी सरानी खेडा हाल निवासी चांदपुर तहसील धौलपुर से दिनांक 23.7.92 को 13500/– रू0 में पंजीवद्ध विक्रय पत्र के क्रय कर विधिवत कब्जा प्राप्त किया था। वयनामा दिनांक से वादीगण आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सुम्मेरा का निधन हो चुका है प्रतिवीदगण संख्या 3 लगायत 8 सुम्मेरा के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। सुम्मेरा का अराजी विवादग्रस्त में हिस्सा 1/3 भाग प्राप्त किया है तथा वादी सं0 1 हिस्सा 1/3 भाग का, वादी सं0 2 हिस्सा 1/3 भाग का आधिपत्यधारी है। वादी संख्या 2/1 लगायत 2/6 स्व0 तेजसिंह के उत्तराधिकारी हैं। स्व0 तेजसिंह का आराजी वादग्रस्त में निहित हिस्सा वादी सं0 2/1 लगायत 2/3 पर 1/12–1/12 भाग यानि 3/12 भाग तथा 2/4 लगायत 2/6 पर संयुक्त रूप से 1/12 भाग सामूहिक रूप से प्रकान्त हुआ है। उपरोक्त हिस्सानुसार वादीगण काबिज काश्त हैं तथा अपने स्वत्व उदघोषणा करा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण का संयुक्त परिवार है जिसका सुम्मेरा मुखिया था। सुम्मेरा को उक्त विक्रय पत्र हल्का पटवारी से नामान्तकरण खुलवाये जाने हेतु दे दिया था तथा सुम्मेरा का विक्रय पत्र हल्का पटवारी का देने से पूर्व ही निधन हो गया था। वादीगण इस विश्वास में रहे कि उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण खुल चुका है। नत्थी का निधन हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 स्व0 नत्थी के वारिस व विधिक कायम मुकाम हैं। प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती आ चुकी है वे वादीगण को आराजी विवादग्रस्त से बेदखल करना चाहते हैं तथा आराजी विवादग्रस्त को नत्थी के निधनोपरान्त विरासतन अपने पक्ष में नामान्तकरण करवाना चाहते हैं। दावा दायरी से 15 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण से जब वे आराजी की देखभाल कर हे थे ऐलानियां धमकी दी कि वे वादीगण को आराजी विवादग्रस्त से बेदखल करेंगे व आयन्दा प्रतिवादीगण काश्त करेंगे।

सहायक कलेक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

अपने पक्ष में विरासतन नामान्तकरण खुलवायेंगे। प्रतिवादीगण की उपरोक्त धमकी से व्यथित होकर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराया तथा विक्रय पत्र जो कि बक्से में बंद था को खोजा तब वादीगण को आराजी विवादग्रस्त पर नामान्तकरण नहीं खुलने की जानकारी हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपने उपरोक्त उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थिति में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है वह अपने स्वत्य की घोषणां करा कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करावे। प्रतिवादीगण को को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करावे। वादीगण ने दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी पर वादी संख्या 1 को आराजी विवादग्रस्त खसरा नम्बर 475 ग्राम चांदपुर में 2/3 भाग का, वादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/6 को वादी सं0 2 के वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण 2/1 लगायत 2/3 को 5/12 भाग का सामूहिक रूप से तथा वादी सं0 2/4 लगायत 2/6 को 1/12 भाग का सामूहिक रूप से एवं वादीगण संख्या 3 लगायत 8 को स्व0 सुम्मेरा के स्थान पर सामूहिक रूप से 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 ने जबाव दावा पेश नहीं करना जाहिर किया। जबावदावा में प्रतिवादी ने कथन किया कि खसरा नम्बर 475 ग्राम चांदपुर पर वादीगण का कब्जा काश्त अथवा सम्वंध सरोकार नहीं है ना ही वादीगण ने कब्जा वापसी का दावा पेश किया है। वादीगण स्व0 तेजसिंह व सुम्मेरा के वारिसान हैं अथवा नहीं इस बावत सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 23.7.1992 को है जिसे घोषित कराने का दावा करीब 23 वर्ष पश्चात पेश किया है जो अवधि बाहर पेश है। प्रतिवादीण के पूर्वज नत्थी ने वादीगण व उनके पूर्वजों के हक में दिनांक 23.7.1992 या अन्य किसी दिवस वयनामा निष्पादित नहीं कराया ना ही अपना निशानी अंगूठा किया। चूँकि प्रतिवादीगण के पूर्वज साक्षर थे हस्ताक्षर करते थे। स्व0 नत्थी वयनामा कराने कचहरी भी नहीं आये। वादीगण ने किसी अन्य का निशानी अंगूठा लगाकर फर्जी वयनामा तैयार कराया है। वादीगण ने पूर्वज नत्थी की अनुपस्थिति में फर्जी व कूट रचित वयनामा तैयार किया है जिससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हर्जे के रूप में प्रतिवादीगण 2000/–रू0 प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने दावा मय हर्जे के खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयीं :–

1. आया वादीगण आराजी विवादग्रस्त के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।
2. आया वादीगण प्रतवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने के अधिकारी हैं।
3. आया वादीगण ने अनावश्यक परेशान करने के लिए दावा पेश किया है वादीगण का स्व0 तेजसिंह व सुम्मेरा के वारिसान हैं या नहीं इस बावत वादीगण ने सक्षम

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। इसका वाद पर क्या प्रभाव पडेगा।

4. आया वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 23.7.1992 का घोषित कराने का दावा करीब 23 वर्ष पश्चात पेश किया है जो अवधि बाहर है। इसका वाद पर क्या प्रभाव पडेगा।

5. अनुतोष

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में वयनामा तारीखी 23.7.1992 वहक सुम्मेरा व तेजसिंह प्रदर्स–1 व जमावंदी सम्वंत् 2066–69 ग्राम चांदपुर खाता संख्या प्रदर्स–2 पेश किये। मौखिक साक्ष्य में बयान मुरारी पीडब्ल्यू–1, रामस्वरूप पीडब्ल्यू–2 व बनवारी पीडब्ल्यू–3 कराये गये। प्रतिवादी की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी तथा दिनांक 9.1.18 को प्रतिवादी व उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस बकील वादी सुनी गयी। बकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 नत्थी ने वादीगण के पूर्वज तेजसिह, सुम्मेरा व मुरारी के हक में दिनांक 23.7.1992 को रजिस्टर्ड वयनामा से विवादित आराजी को विक्रय किया था। वयनामा दिनांक से ववादीगण के पूर्वज व उनके पश्चात वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। वादीगण के पूर्वज व मुखिया परिवार तेजसिंह को वयनामा पटवारी हल्का से दाखिला खारिज खुलवाने वास्ते दिया था। तेजसिंह का स्वर्गवास हो गया और वादीगण इस भरोसे में रहे कि उनका दाखिला खुल गया होगा। प्रतिवादीगण के द्वारा वावदीगण को बेदखल करने की धमकी देने के बाद वादीगण ने पटवारी से रिकार्ड दिखवाया तो पता चला कि आराजी स्व0 नत्थी के नाम ही चली आ रही है। प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती आ गयी है और वे स्व0 नत्थी के स्थान पर अपने नाम का दाखिला खारिज खुलवाना चाहते हैं। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर वादीगण अपना नाम का स्वत्व घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा डिक्री किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के द्वारा पेश लिखित अभिकथनों एवं साक्ष्य के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नम्बर – 1

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वयनामा दिनांक23.7.1992 द्वारा स्व0 नत्थी वहक तेजसिंह, सुम्मेरा व मुरारी के आधार वर स्वयं को तेजसिंह व सुम्मेरा का वारिस बताते हुए खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादीगण ने वयनामा को फर्जी बताकर वादीगण को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने की आपत्ति की है। वयनामा प्रदर्स–1 पत्रावली में संलग्न है जो रजिस्टर्ड वयनामा है। इस वयनामा पर निशानी अंगूठा नत्थी व गवाह के रूप में रामस्वरूप के हस्ताक्षर तथा बुद्धा का अंगूठा निशानी हो रहा है। प्रतिवादीगण का कथन है कि स्व0 नत्थी साक्षर थे व हस्ताक्षर करते थे लेकिन

सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

उनके द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। केवल मात्र मौखिक कथन से किसी बात को सही नहीं माना जा सकता है। वयनामा पंजीवद्ध है जिसको फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। वयनामा के गवाह रामस्वरूप ने अपने बयान पीडब्ल्यू–2 में स्व0 नत्थी द्वारा वयनामा किया जाना बताया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को तेजसिंह व सुम्मेरा का वारिस नहीं होना भी कथन किया है लेकिन अपने कथन को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही यह बताया है कि तेजसिंह व सुम्मेरा के असली वारिस कौन हैं। अतः प्रतिवादीगण का उक्त कथन माने जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। जमावन्दी सम्वत् 2066–69 ग्राम चांदपुर प्रदर्स–2 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 170 व 475 पर नत्थी पुत्र किलोल जाति जाटव खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वयनामा प्रदर्स–1 के अनुसार नत्थी पुत्र किलोल जाति जाटव ने आराजी खसरा नम्बर 475 रकवा 1 वीघा का वयनामा तेजसिंह, सुम्मेरा व मुरारी पुत्रगण वेदरिया के हक में किया गया है। उक्त वयनामा के आधार पर क्रेता खातेदार काश्तकार हुए। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर – 2

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अनुतोष चाहा है। तनकी नम्बर 1 के विवेचन से वादीगण विवादित आराजी पर अपना हक सिद्ध करने में सफल रहे हैं तथा आराजी पर स्वत्व घोषित कराते हैं तो एक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी की आराजी पर पडौसी कास्तकार अथवा अन्य व्यक्ति को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी राज0 टेनेन्सी एक्ट की धारा 188 के अन्तर्गत होता है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर – 3

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण तेजसिंह व सुम्मेरा के वारिस नहीं हैं उनके द्वारा गलत सिजरा पेश किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि तेजसिंह व सुम्मेरा के असली वारिस कौन हैं। प्रतिवादीगण के कथन मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि वादीगण असल वारिस नहीं हैं। प्रतिवादीगण को अपने कथनों को साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना चाहिये था जो प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर – 4

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के द्वारा वयनामा को अवधिपार होना बताते हुए 23 वर्ष बाद दावा पेश करने पर कोई अनुतोष योग्य नहीं होना कथन किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने इस कथन को साबित करने के

सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

लिए कोई साक्ष्य अथवा न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया गया है और ना ही वादपत्र को प्रतिरक्षित किया है। वादी के कथन मात्र से वयनामा को अवधिपार नहीं माना जा सकता है। वयनामा रजिस्टर्ड है एवं वयनामा के गवाह ने इसे प्रमाणित किया है व स्व0 नत्थी के द्वारा वयनामा को निष्पादित कराया जाना अपने बयानों में स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण को अपने कथनों को सिद्ध करने के लिए उचित साक्ष्य पेश करने चाहिए थे जो उनके द्वारा नहीं किये गये हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 475 रकवा 1 वीघा ग्राम चांदपुर तहसील धौलपुर पर वादी संख्या 1 को 1/3 भाग का, वादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/3 को 3/12 भाग का सामूहिक रूप से तथा वादीगण संख्या 2/4 लगायत 2/6 को 1/12 भाग का सामूहिक रूप से एवं वादीगण संख्या 3 लगायत 8 को सामूहिक रूप से 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 475 पर हो रहे नत्थी पुत्र किलोल के इन्द्राजों को कलमजद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.3.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(ओ0पी0सहारण)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

Scanned by CamScanner